न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 88/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0 पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/162

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.9.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की कार्यालय टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं के अनुसार दिनांक 23.7.2020 के बाद निलंबित निरस्त उचित मूल्य दुकानदार राजेश कुमार शर्मा ग्राम पंचायत खण्डार को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवायी का मौका दिनांक 5.8.2020 को उपस्थित होने की जो सूचना दी गयी वो सूचना किस माध्यम से दी गयी थी यदि सूचना कारण बताओं नोटिस जारी करके दी गयी है तो उस कारण बताओ नोटिस की प्रति अधिनियम की तय समय सीमा में उपलब्ध करवावे। यदि सूचना अन्य माध्यम से दी गयी है तो उसकी प्रमाणित नकल दी जावें। नकलो के साथ जिला रसद अधि0कार्यालय स0मा0 की कार्यालय टिप्पणी की नकल भी दी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/06 दिनांक 26.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा बाडमेर जिले के 24 राशनकार्डो मे फर्जी ट्रान्जेक्शन कर राशन सामग्री का गबन करने के कारण उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसकी अपील न्यायालय मे जैरकार है। उक्त अनुज्ञा पत्र को बहाल करवाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अनावश्यक/विस्तृत एवं अपूर्ण विवरण की सूचना मांगकर कार्यालय के कार्मिको/अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त संबंध मे अपीलान्ट को पूर्व मे सूचना दी चुकी है तथा किसी व्यक्ति विशेष की सूचना के लिए कार्यालय मे उपस्थित होकर वांछित सूचना का अवलोकन कर चिन्हित करने बाबत लिखा जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना(कारण बताओ नोटिस/कार्यालय टिप्पणी की प्रति) अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जानी [illegible] लोक सूचना अधिकारी द्वारा अभी तक उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अ[illegible]ला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना ([illegible] टिप्पणी की प्रति) अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी ज[illegible] उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता [illegible] नम्बर से [illegible] एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्[illegible]लय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:35:23 IST
Reason: SelfAttested